संख्या : / जी0एस0 / शिक्षा / A3-119(2)/2022

प्रेषक,

**डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,**
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलपति,**
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

**राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड** **देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर, 2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या : 477 / के0यू0 / मान्यता / सम्बद्धता / 2021 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, काशीपुर, को एम0ए0, एम0कॉम0 एवं बी0–एससी0 (पी0सी0एम0 व जैड0बी0सी0) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– शैक्षिक सत्र 2021–22 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्तावों पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

| क्रमांक | महाविद्यालय / संस्थान का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार) | अस्थाई सम्बद्धता की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर | एम0ए0 (हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र)<br>एम0कॉम0<br>बी0–एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, गणित) | 30 सीट प्रति विषय<br>30 सीट<br>60 सीट प्रति ग्रुप | 2021–22 |

**1–** निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

**2–** विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

**3–** यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यकमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यकमों के सम्बन्ध में पाठ्यकमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

**4–** संस्थान में उक्त पाठ्यकमों हेतु भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर एवं प्रयोगशाला मानकानुसार पूर्ण कराने के साथ–साथ प्रत्येक पाठ्यकम हेतु पाठ्यकमानुसार प्राभूति राशि के रूप में एफ0डी0आर0 विश्वविद्यालय के नाम बंधक रखते हुए बी0–एससी0 पाठ्यकम हेतु बंधक एफ0डी0आर0 का नवीनीकरण कराते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर इस सचिवालय को प्रेषित करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

**5–** अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम / नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

**(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)**
कुलाधिपति के सचिव।

**कमशः / –**

**संख्याः 2579(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-119(2)/2022 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

**(स्वाति एस0 भदौरिया)**
कुलाधिपति के अपर सचिव।